भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या –31/2024–25

तिथि	आदेश फलक	की गई कार्रवाई
25-6-24	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैः– 1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है। 2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न) 3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न) 4. प्रस्तावित अन्तरण के विरूद्व कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तु (क) के अन्तर्गत विक्रेता/क्रेता :– **सुदन सरदार, पिता–स्व0 मिठु सरदार, उर्फ मिठु भूमिज**, जाति–**भूमिज**, ग्राम–**कदमडीह, थाना–सुन्दरनगर, अंचल–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम** को मूल्य–**8,50,000/–**रूपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता/विक्रेता :–**मंगल चरण हाँसदा, पिता–दशरथ माझी, जाति–संथाल, ग्राम–जोन्ड्रागोड़ा, थाना–सुन्दरनगर, अंचल–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम** के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन, का ब्यौरा :– <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं0</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकवा</th></tr><tr><td>कदमडीह</td><td>1188</td><td>83</td><td>159</td><td>7.20डी0</td></tr></table>के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है। लेखापित ह0 25/6/24 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धालभूम, जमशेदपुर।	

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2024.08.08 12:18:24 +05:30
Location: 10.93.19.90